न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस..
राजस्व आवेदन संख्या –24/2025

प्रार्थीगण

1.सुगणीदेवी पत्नी लुणाराम
जाति मेघवाल निवासी झेलून बूठिया
तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

उनवान

विप्रार्थीगण

1. श्री अमीर पुत्र नसीर वगेराह प्रतिवादीगण संख्या 2 से 14
15.तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी
आवेदन संख्या :– 24/2025 दिनांक :–07.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 10.01.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **झेलून** पटवार हल्का **बूठिया** के खसरा संख्या **449/245** क्षेत्रफल **8.0937** हेक्टयर उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण 1 से 15 बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गयी। प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। अन्य विप्राथीगण को सम्मन रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नही एवं जवाब प्राप्त नही। अतः प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **झेलून** पटवार हल्का **बूठिया** के खसरा संख्या **449/245** क्षेत्रफल **8.0937** हेक्टयर उनके भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में मौके पर विवाद होने, किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
यह आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर/2025/ 193-96
दिनांक : 07/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थी सुगणीदेवी पत्नी लुणाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री अमीर पुत्र नसीर वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर